

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 41/2021 प्रा०पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

1. शिवराम पुत्र तेजराम प्रजापत
2. जगदीश पुत्र तेजराम प्रजापत
3. रमेश पुत्र तेजराम प्रजापत
4. रघुवीर पुत्र तेजराम प्रजापत
5. चिमनलाल पुत्र मूल्या प्रजापत
6. शिवजी पुत्र मूल्या प्रजापत
7. धुंधी पुत्र मूल्या प्रजापत
8. हुकमा पुत्र हरिमोहन प्रजापत
9. देवीराम पुत्र हरिमोहन प्रजापत
10. मोहन पुत्र मुंशी खां
11. दिलीप पुत्र मुंशी खां
12. दीनू पुत्र मुंशी खां
13. महेन्द्र पुत्र मुंशी खां
14. सुलेमान पुत्र बादाम
15. गफ्फार पुत्र अलानूर खां



- समस्त निवासी समलेटी तहसील महवा जिला दौसा
16. रामजीलाल पुत्र गुल्या जाति जोगी निवासी समलेटी तहसील महवा जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर महवा जिला दौसा
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू० रावत पैलेस के पीछे, आगरा रोड दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 बाबत विरुद्ध आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर महवा अर्वाड आदेश क्रमांक:840 दिनांक 18.3.2009

उपस्थित- 1. श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

3. श्री कौशलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2

निर्णय

दिनांक 30.05.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, महवा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 11 के अंतर्गत ग्राम समलेटी के खसरा नंबर 1004 व 1005 के पारित के पारित मुआवजा अर्वाड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी महवा से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि ग्राम समलेटी में स्थित भूमि खसरा नंबर 1004 व 1005 में सडक निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की गई है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 266 रकबा 17 बिस्वा थे जिसकी खातेदारी वर्तमान मोहरपाल पुत्र भौरया मीना समलेटी के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि में से प्रार्थीगण ने

जिला कलेक्टर, दौसा



जरिये इकरारनामा भूमि खरीदकर आवासीय मकानात बनाकर निर्माण किया था तथा रिहायश करते चले आ रहे थे। उक्त खातेदार ने उक्त भूमि को सरेण्डर कर सिवायचक भूमि करवाई थी। इसलिए उक्त भूमि सिवायचक के रूप में दर्ज हो गई किन्तु प्रार्थीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा था व रिहायश करते चले आ रहे हैं। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने जो अवाप्त 18.3.2009 को जारी किया है उसे प्रार्थीगण को निर्माण का मुआवजा अवार्ड तो पारित कर दिया परन्तु भूमि की कीमत का मुआवजा प्रार्थीगण को अदा नहीं किया गया क्योंकि प्रार्थीगण ने उक्त भूमि के जो खातेदार थे भूमि जरिये इकरारनामा खरीद की है ऐसी सूरत में प्रार्थीगण लाफूल स्वामी है। प्रार्थीगण ने इस संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र पेश किया था, किन्तु उन्होंने निर्माण का तो अवार्ड पारित कर दिया व भूमि का कोई अवार्ड निर्धारण नहीं किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी का अवार्ड आदेश खिलाफ कानून, नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 1004 व 1005 में से सडक हेतु भूमि अवाप्त की गई है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 266 रकबा 17 बिस्वा थे जिसकी खातेदारी मोहरपाल पुत्र भौरया मीना समलेटी के नाम से दर्ज थी। प्रार्थीगणों व उनके पूर्वजों ने उक्त भूमि के खातेदार मोहरपाल से काफी बरसों पूर्व जरिये इकरारनामा भूमि खरीद कर पक्के मकान छप्परपोश आदि का निर्माण कर रिहायश कर रहे हैं। उक्त भूमि के खातेदार ने स्वयं ने भूमि को सरेण्डर की इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों ने भूखंड खरीदकर पक्के मकानात आदि का निर्माण किया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड पारित किया है उसमें केवल मात्र निर्माण का ही अवार्ड पारित किया है। जबकि भूमि की कीमत का कोई अवार्ड पारित नहीं किया गया है जबकि भूमि अवाप्ति अधिकारी को भूमि व भवन दोनों का ही अवार्ड पारित किया जाना चाहिए था। इसलिए अवार्ड आदेश मौके की परिस्थिति के अनुसार नहीं है। प्रार्थीगण व उसके पूर्वजों ने भूमि को जरिये इकरारनामा खरीद की है इसलिए प्रार्थीगण भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी है परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवैधानिक तरीके से केवल मात्र निर्माण का ही अवार्ड पारित किया है जो नियम विरुद्ध है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने भूमि अवाप्ति अधिकारी को लिखित में आवेदन भी दिया परन्तु उन्होंने सडक में अवाप्त भूमि का मुआवजा का निर्धारण नहीं किया केवल मात्र निर्माण का ही अवार्ड पारित किया है इसलिए न्याय हित में अवार्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थीगण को भूमि का मुआवजा मिलना कानून आवश्यक है। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मौका व रिकार्ड को अनदेखा कर अवार्ड पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अवार्ड आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर महवा का अवार्ड आदेश दिनांक 18.3.2009 को संशोधित करते हुए निर्देश फरमावें कि भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रार्थीगण की भूमि जो अवाप्त की गई है उसका अवार्ड नियमानुसार निर्धारण कर भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा के द्वारा विधिवत रूप से अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह 14 वर्ष की अवधि की देरी के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर -1004, 1005 किस्म सरकारी चाही, बारानी-उत्तम (राजस्थान सरकार सिवायचक) के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त अवाप्त भूमि पर निर्माण/संरचना आदि का मुआवजा शिवराम, जगदीश, रमेश, रघुवीर पुत्रान तेजराम प्रजापत, निवासी समलेटी, जिला दौसा को चैक संख्या-756449 लगायत 756453 राशि 6,22,768/-रूपये का प्रार्थीगण को भुगतान पूर्व में चुका है। प्रार्थीगण अनुचित रूप से उक्त मुआवजे की मांग कर रहा है जो कि कानूनी रूप से गलत है। उक्त

70
जिला कलेक्टर, दौसा



खसरा नम्बर-1004, 1005 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी चाही, बारानी-उत्तम (राजस्थान सरकार सिवायचक) के नाम से दर्ज थी। उक्त अवाप्त भूमि पर जिस-जिस व्यक्तियों द्वारा निर्माण/संरचना आदि का निर्माण किया हुआ था उनका राजस्व अधिकारियों की जांच रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अधिकृत स्वतंत्र सर्वे एजेन्सी द्वारा सर्वे किया गया तत्पश्चात् उक्त निर्माण आदि का मूल्यांकन कराया गया। उक्त मूल्यांकन को पी.डब्ल्यू.डी. एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा बैट किया गया। तदोपरांत निर्माण आदि का पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित बीएसआर दर के अनुसार मूल्यांकन कर अवार्ड पारित किया गया। राजस्व अधिकारियों की जांच के उपरांत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) द्वारा जारी अवार्ड के अनुसार हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजे का वितरण किया गया। प्रार्थी कोई भी मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर -1004, 1005 की किस्म सरकारी चाही, बारानी-उत्तम (राजस्थान सरकार सिवायचक) जो कि राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज थी, उक्त अवाप्त भूमि सरकारी सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि को अगर कोई पट्टे जारी कर बेचान आदि करता है तो वह शून्य प्रभावी है। इसके पश्चात् निष्पादन किये गये विक्रय पत्र भी निष्प्रभावी होने से शून्य माने जायेंगे। अतः अवाप्तशुदा भूमि का स्वामित्व हितबद्धधारियों का सिद्ध नहीं होता। इसलिए प्रार्थी कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि पर निर्माण आदि का मुआवजा राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अधिकृत स्वतंत्र सर्वे एजेन्सी की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार संबंधित हिताधिकारी को विधि के प्रावधानों के अनुसार अवार्ड पारित कर सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड राशि का वितरण कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु गलत एवं झूठे तथ्य वर्णित किये गये हैं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर निर्माण आदि कर रखा हो और उस सरकारी भूमि को लोक हितों हेतु अवाप्त किया गया हो तो उस भूमि की मुआवजा राशि का अधिकारी नहीं होगा। जबकि उक्त भूमि पर निर्माण आदि का मुआवजा कब्जाधारी को दिया जाता है। इसी तरह उक्त भूमि पर निर्माण आदि का भी मुआवजा प्रार्थीगण को पूर्व में दिया जा चुका है। सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा-3ए की अधिसूचना की दिनांक से 21 दिवस के अन्दर संबंधित हिताधिकारियों से अवाप्त की जाने वाली भूमियों के संबंध में आपत्तियां मांगी गयी थी जिस व्यक्ति द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गईं उनका विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। तत्पश्चात् धारा- 3डी की अधिसूचना दिनांक 12.07.2007 को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। उसके पश्चात् अगर व्यक्तियों को कोई आपत्ति थी तो आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु 21 दिवस का समय दिया गया, जो भी आपत्तियां प्रस्तुत की गईं उनका अवलोकन कर एवं संबंधित हिताधिकारियों को सुनकर उनको निर्णित किया गया। उक्त अवाप्त भूमि पर जिस-जिस व्यक्तियों द्वारा निर्माण/संरचना आदि का निर्माण किया हुआ था उनका राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा अधिकृत स्वतंत्र सर्वे एजेन्सी द्वारा सर्वे किया गया तत्पश्चात् उक्त निर्माण आदि का मूल्यांकन कराया गया। उक्त मूल्यांकन को पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बैट किया गया तदोपरांत निर्माण आदि का पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्धारित बीएसआर दर के अनुसार मूल्यांकन कर अवार्ड पारित किया गया उक्त अवार्ड राशि का हितबद्ध व्यक्तियों को वितरण किया गया। प्रार्थी कोई भी मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह समाधान हो जाने के पश्चात् उत्तरप्रदेश/राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 आगरा- जयपुर परियोजना के खण्ड भरतपुर से महवा को 4 लेन करने के लिये भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 A की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.07.2006 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 09.11.2006 को किया गया, के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन में अवाप्तशुदा भूमि के खसरा नंबर, भूमि की किस्म, भूमि का प्रकार तथा अवाप्त की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल राजपत्र में प्रकाशित


जिला कलेक्टर, दौसा



करवाया गया। मिन उत्तरदाता अप्रार्थी की ओर से निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 आगरा-जयपुर परियोजना के खण्ड भरतपुर से महवा को 4 लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक परियोजना शुरू की है जिसमें दौसा के ग्रामों की अवाप्त भूमि का प्रतिकर का निर्धारण किया गया है जिसके लिए उत्तरदाता अप्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 परियोजना सेक्शन को चौड़ा करने के साथ चार लेन का बनाने हेतु अधिसूचना दिनांक 10.07.2006 के अन्तर्गत धारा 3ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत आगरा की खातेदारी एवं सरकारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसूचना का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र के असाधारण भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड-पप के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) जिसे आगे अधिनियम 1956 से सम्बोधित किया गया है की धारा 3 (क) की उप धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग अधि. 1956 का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया गया है, एवं धारा 3ए की अभिसूचना का प्रकाशन 2 समाचार पत्रों में विधिवत प्रकाशित किया जाकर आपत्तिया आमंत्रित की गई। उक्त अधिसूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद निर्धारित समय अवधि 21 दिवस के भीतर 20 आक्षेप / आपत्तियां काश्तकार/पक्षकारान् हितबद्ध खातेदार से प्राप्त हुए थे उनका सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर आक्षेपो को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई की जाकर उक्त आपत्तियों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए की उपधारा-III के अन्तर्गत निर्णित कर तदोपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उपधारा (3) दिनांक 12.07.2007 अधिसूचना जारी की है जिसका प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र भाग ८ खण्ड 3 उपखण्ड (II) में उक्त अधिसूचना 3 डी का प्रकाशन भी दो समाचार पत्रों में दिनांक 12.07.2007 को प्रकाशित करवाया गया तथा अवाप्तधीन भूमि के हितधारको की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमन्त्रित की गई। उनका विधि के प्रावधानो के अनुसार निस्तारण कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अंतर्गत जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, उन समस्त आपत्तियों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी धारा 3 डी का अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, जिसके पश्चात केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 12.07.2007 को जारी किया गया, जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों में किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तथा अधिग्रहण की घोषणा के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं। धारा 3डी (2) के अनुसार भूमि अवाप्ति की अधिसूचना अंतर्गत धारा 3 डी (1) जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि निर्वाध रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है, जिसमें खातेदार अथवा हितधारी को कोई भी हक व हकूक शेष नहीं रह जाता है, जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है। धारा 3डी (4) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा को किसी न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख रखाव अथवा उससे संबंधित कोई भी कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर संबंधित खातेदारी/हितधारी व्यक्तियों से भूमि, इत्यादि के मुआवजे के संबंध में नोटिस प्रकाशन से 21 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में जो आपत्ति की गई उसका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के संबंध में अपना अवार्ड दिनांक 18.03.2009 को पारित

जिला कलेक्टर, दौसा



कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक दौसा से प्राप्त निर्धारित डीएलसी के आधार पर की गई व इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी. (2) व (7) में दिये गये जो पूर्णतः सही एवं उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि में धारा 3 ए के अन्तर्गत जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 10.07.2006 से भुगतान की तिथी तक 10 प्रतिशत ब्याज भी दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (1) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अवार्ड की राशि को जमा कराये जाने का प्रावधान है, जिसकी पालना करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अवार्ड की राशि सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दी गयी है। धारा 3 एच (2) के अनुसार मुआवजे की राशि केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करा देने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के हकदार व्यक्तियों को तुरन्त प्रभाव से भुगतान किये जाने का प्रावधान है। उक्त राशि का सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा वितरण कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए विस्तार के फोरलेनीकरण वास्ते अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचनाओं/निर्माण की मुआवजा राशि के निर्धारण बाबत पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा उक्त आवाप्त भूमियों एवं निर्माण आदि का सर्वे कर मूल्यांकन करवाकर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत कार्य करने का आदेश दिया गया, साथ ही संबंधित तहसीलदार को उनके पटवारी एवं गिरदावरी सहित सर्वे एवं मूल्यांकन कार्य में सहयोग एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में पी डब्ल्यू डी की वी एस आर (बेसिक शिड्यूल आफ रेट) के आधार पर स्वतन्त्र तकनीकी मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पुष्ट (वेट) किया गया। विधि के प्रावधानों के अनुसार यदि मुआवजे का अवार्ड जारी होने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सम्पूर्ण मुआवजे की राशि को जमा करा दिया जाता है, तो भा. रा. रा. प्रा. हितबद्ध पक्षकारों को देरी से भुगतान होने की स्थिति में किसी भी प्रकार से ब्याज राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। हितधारी का दायित्व है कि वह सक्षम प्राधिकारी से मुआवजे की राशि को विधिक प्रक्रिया का पालन कर प्राप्त कर लेवे, यदि किसी हितधारी द्वारा किसी भी कारण से मुआवजे की राशि को प्राप्त नहीं किया जाता है तो वह हितधारी मुआवजे के अवार्ड में दी गई राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनियम 1956 की धारा 3 एच (4) के अनुसार यदि मुआवजे के विभाजन से संबंधित पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी आरम्भिक क्षेत्राधिकार वाले प्रधान सिविल न्यायालय को विवाद के निपटारे के लिए निर्देशित कर सकता है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहण का उद्देश्य ना तो आवासीय और ना ही व्यावसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिससे अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/ऊर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के अंतर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधि सम्मत एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्रार्थी कील आपत्ति का निस्तारण कर नियमानुसार पारित किया गया था। उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा का निर्धारण राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज खातेदारी के आधार पर सरकार के पक्ष में तय किया गया था। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा के द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2008 को आपत्ति को आंशिक स्वीकार किया जाकर अवाप्त भूमि का मुआवजा सरकार के पक्ष में एवं उक्त भूमि पर स्थित निर्माण का मुआवजा प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जाकर तत्समय ही भुगतान प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर लिया। ग्राम समलेटी तहसील महवा स्थित खसरा नंबर 1004 व 1005 में से एन.एच.11 के

जिला कलेक्टर, दौसा

चारलेनीकरण हेतु भूमि अवाप्त की गई थी। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग के अनुसार हाल खसरा नंबर 1004 व 1005 जो कि साबिक खसरा नंबर 266 से बनाये गये है। नामान्तरण सं० 251 दिनांक 19.1.1985 के मुताबिक साबिक खसरा नंबर 266 रकबा 17 बिस्वा किस्म चाही-1 की खातेदारी मोहरपाल पुत्र भोरया कौम मीना सा.देह के बजाय सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड की गई। पूर्व में प्रार्थी द्वारा तत्समय भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर इकरारनामा के आधार पर खरीद एवं उसमें रिहायशी मकान निर्माण किये जाने के आधार पर भूमि के मुआवजे की मांग की गई थी। जिसे भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा के द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2008 को आपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अवाप्त भूमि का मुआवजा सरकार के पक्ष में एवं उक्त भूमि पर स्थित निर्माण का मुआवजा प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किया जाकर तत्समय ही भुगतान प्रार्थी के द्वारा प्राप्त कर लिया गया।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थीगण का कथन है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जारी किया गया अवार्ड दिनांक 18.3.2009 प्रार्थीगण का निर्माण का मुआवजा तो पारित कर दिया, किन्तु भूमि की कीमत का मुआवजा प्रार्थीगण को अदा नहीं किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि उनके द्वारा खसरा नंबर 226 रकबा 17 बिस्वा जो कि मोहरपाल पुत्र भोरया मीना निवासी समलेटी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि को प्रार्थीगण द्वारा जरिये इकरारनामा खरीद कर आवासीय मकानात बनाये है। खातेदार ने उक्त भूमि को सरेण्डर कर सिवायचक करवाया था।
9. किन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन में कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजकीय भूमि का नियमानुसार कोई भी राशि राज्य सरकार या प्रार्थी को देय नहीं होती है एवं केवल संरचना का ही मुआवजा देय होता है जो कि इस प्रकरण में पूर्व में ही दिया जा चुका है।
10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा द्वारा ग्राम समलेटी के खसरा नंबर 1004 व 1005 पर पारित मुआवजा अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा